न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –86/2019 (Bank Case)

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस– एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम) मुम्बई तथा शाखा कार्यालय टाइम्स स्कवायर्स, 10 सेन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी विजेन्द्र जोशी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. शिवम ट्रेडिंग कम्पनी पीके 27, भामाशाह मण्डी, कोटा **(ऋणी)**
2. लालचन्द राठौड़ पुत्र लक्ष्मीचन्द राठौड प्रोपराईटर शिवम ट्रेडिंग कम्पनी निवासी– सी–30, सुभाष नगर एमबीएस रोड, आनन्दपुरा फूला तालाब, कोटा **(सहऋणी एवं मोर्गेजर)**
3. गिर्राज राठौड पुत्र लक्ष्मीचन्द राठौड निवासी– सी–30, सुभाष नगर, एमबीएस रोड, आनन्दपुरा फूला तालाब कोटा **(सहऋणी एवं मोर्गेजर)**
4. मूर्ती राठौड पत्नि लालचन्द राठौड़ निवासी–सी–30, सुभाष नगर, एमबीएस रोड, आनन्दपुरा फूला तालाब, कोटा राज0 । **(सहऋणी)**

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री सौरम्भ सुमन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 16.07..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. रजिस्टर्ड ऑफिस– एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवेर परेल (पश्चिम) मुम्बई तथा शाखा कार्यालय टाइम्स स्कवायर्स, 10 सेन्ट्रल स्पाईन विद्याधर नगर जयपुर से अप्रार्थी ने दिनांक 20.2.2018 को ऋण अनुबंध सं0 50200029825612 से रूपये 4,25,00000/– (अक्षरेः रूपये चार करोड़, पच्चीस लाख, मात्र) की ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति शॉप नम्बर पी के 27, किराना ब्लॉक, भामाशाह मण्डी कोटा क्षैत्रफल 800 वर्गफीट जिसका परिवर्तित पट्टा विलेख कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा जारी किया जाकर उप पंजीयक कोटा द्वारा दिनांक 24.8.2018 को पंजीयन किया गया है व प्लॉट नं0 सी–30, सुभाष नगर एमबीएस रोड, आनन्दपुरा फूटा तालाब कोटा क्षैत्रफल 455.62 वर्गमीटर है जिसका पट्टा संख्या 20241 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है । उक्त सम्पत्तियां अप्रार्थी सं0 2 लालचन्द राठौड़ के नाम है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 4,35,38,126/– (अक्षरेः रूपये चार करोड़, पैंतीस लाख, अड़तीस हजार, एक सौ छब्बीस रूपये मात्र) दिनांक 01.04.2019 तक शेष

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया,नोटिस प्राप्ति के एवं नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र The Economic Times में दिनांक 09.05.2019 एवं हिन्दी समाचार पत्र हाड़ोती केसरी में दिनांक 09.05.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही सम्भलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं करने प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया,नोटिस प्राप्ति के एवं नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र The Economic Times esa दिनांक 09.05.2019 एवं हिन्दी समाचार पत्र हाड़ोती केसरी में दिनांक 9 05.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किय प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया,नोटिस प्राप्ति के एवं नोटिस का अंग्रेजी समाचार पत्र The Economic Times esa दिनांक 09.05.2019 एवं हिन्दी समाचार पत्र हाड़ोती केसरी में दिनांक 9 05.2019 को प्रकाशन भी कराया गया इसके बावजूदमांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता की अचल सम्पत्ति शॉप नम्बर पी के 27, किराना ब्लॉक, भामाशाह मण्डी कोटा क्षैत्रफल 800 वर्गफीट जिसका परिवर्तित पट्टा विलेख कृषि उपज मण्डी समिति कोटा द्वारा जारी किया जाकर उप पंजीयक कोटा द्वारा दिनांक 24.8.2018 को पंजीयन किया गया है व प्लॉट नं0 सी–30, सुभाष नगर एमबीएस रोड, आनन्दपुरा फूटा तालाब कोटा क्षैत्रफल 455.62 वर्गमीटर है जिसका पट्टा संख्या 20241 नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जारी किया गया है । उक्त सम्पत्तियां अप्रार्थी सं0 2 लालचन्द राठौड़ के नाम है का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 16.07.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner